न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 6/16 सन् 2016

आरसीएमएस पोर्टल नम्बर (2016/00160)

बउनवानीः—

1. चौथमल पुत्र रामसहाय धोबी निवासी चौथ का बरवाडा,तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. हनुमान प्रसाद पुत्र रामसहाय धोबी नि0चौथ का बरवाडा तह0चौथ का बरवाडा
2. तेजमल पुत्र रामसहाय धोबी निवासी चौथ का बरवाडा तह0चौथ का बरवाडा
3. बजरंगी बेवा रामसहाय धोबी निवासी चौथ का बरवाडा तह0चौथ का बरवाडा
4. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 101 निर्णय दिनांक 10.5.1993 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री अब्दुल बहाव वकील अपीलान्ट

—: निर्णय :— दिनांक 7.8.2018

अपील अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 101 निर्णय दिनांक 10.5.1993 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। बावजूद तामील नोटिस न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एव तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 101 दिनांक 10.5.1993 तस्दीक करने से पूर्व मृतक रामसहाय के वारिसानों के सही नामों की जानकारी नही की ओर सरसरी तरीके से ही नामा0 जैर अपील तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय है। यह कथन भी किया कि साबिक आराजीयात ख0न0 1934/3094,1934/3090, 1934/3089/1,1935/3129 कुल किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम चौथ का बरवाडा मुन्दर्जे नामा0 संख्या 101 के तीन खातेदार कमशः मनफूल,रामसहाय,मदनलाल पिसरान केसरा धोबी निवासी चौथ का बरवाडा थे जिनमे से रामसहाय का दिनांक 24.4.1992 को देहान्त हो गया था जिसके वारिसान कमशःहनुमान प्रसाद,चौथमल,तेजमल पिसरान रामसहाय व बजरंगी बेवा रामसहाय थे। सेटलमेंट के बाद उक्त साबिक ख0न0 के नवीन ख0न0 267,268,269 कुल किता 3 कुल रकबा 2.52 है0 बने है। रामसहाय के देहान्त होने पर उसके वारिसान का नाम भरते समय आदेश जैर अपील में पटवारी हल्का ने अपीलान्ट का नाम पप्पू अंकित कर दिया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम चौथमल है कथन के समर्थन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा,1998 की अंकतालिका पेश की गयी। तथा यह कथन किया कि रेस्पो. 1 व 2 अपीलान्ट के खास भाई एवं रेस्पो. 3 अपीलान्ट की माता है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा जिस समय नामा0 जैर अपील तस्दीक किया गया उस समय अपीलान्ट कानूनी प्रकिया को नही समझता

था इस कारण अपीलान्ट को पप्पू के नाम भरे गये नामा0 की कोई जानकारी नही रही है। ओर ना ही पटवारी हल्का ने इस संबंध में अपीलान्ट से कोई जॉच की है। यह कथन भी किया कि आदेश जैर अपील नामा0संख्या मे अपीलान्ट का नाम पप्पू दर्ज कर दिये जाने की कोई जानकारी नही थी परन्तु अभी जब अपीलान्ट पटवारी हल्का से दिनांक 10.2.2016 को जमाबन्दी की नकल निकलवाने गया तब उसमे अपीलान्ट का नाम पप्पू दर्ज होने की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 10.2.2016 को नामा0 की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 15.2.2016 को नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रस्तुत अपील आदेश जैर अपील की जानकारी होने से नकल प्राप्त की अवधि से अन्दर मियाद मय दफा 5 लि. एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गयी है। अतः प्रस्तुत अपील को अन्दर मयाद मानते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त करने बाबत निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 101 दिनांक 10.5.1993 को तस्दीक करते समय मृतक रामसहाय के वारिसान हनुमान प्रसाद,चौथमल, तेजमल पिसरान रामसहाय एवं बजरंगी बेवा रामसहाय के नाम से नामा0 भरा जाना चाहिए था। किन्तु उक्त नामा0 मे अपीलान्ट चौथमल के नाम के स्थान पर पप्पू दर्ज कर दिया है। अपीलान्ट चौथमल द्वारा रामसहाय का पुत्र होने बावत किये गये कथन की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा,1998 की अंकतालिका की प्रति से हो जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है कि मृतक रामसहाय पुत्र केसरा धोबी के सभी विधिक वारिसान के सही नाम की पुष्टि करवाकर उनके नाम पुनः नामा0 भरकर दर्ज फैसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.8.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पी0सी0 पवन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर